



2026:AHC-LKO:40684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 224 / 2026

पवन कुमार

.... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : निजाम अहमद

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/2022 पुलिस स्टेशन बासखारी, जिला अंबेडकर नगर में अग्रिम जमानत पाने के लिए दाखिल किया गया है। यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय ने **मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 116]** वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और दोनों पक्षों के विद्वान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, दिनांक 18.3.2026 को एक विस्तृत आदेश पारित करके अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। उनका यह भी कहना है कि आवेदक ने कभी भी अग्रिम जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए दिनांक 18.3.2026 के आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2026 को पारित आदेश इस प्रकार है :-

"1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 161/2022 के संबंध में दाखिल किया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 304बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज है; यह वाद थाना- बासखारी, जिला- अंबेडकर नगर का है।

3. इस आवेदन पर विचार करने और आवेदक के हितों की रक्षा के लिए, न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार किया:-

(i) आवेदक निर्दोष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

(ii) आवेदक मृतका का देवर है।

(iii) मृतका का विवाह दिनांक 25.04.2016 को इंद्रेश आवेदक के सगे भाई से हुआ था।

(iv) दिनांक 28.05.2022 को मृतका की मृत्यु हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया; शव परीक्षण सर्जन ने चिकित्सीय जांच के बाद राय दी कि मृत्यु का कारण दम घुटना था, जो मृत्यु से पहले गला घोटने के कारण हुआ था।

(v) मृतका अपने पति के साथ अलग रहती थी और आवेदक के साथ नहीं रहती थी।

(vi) आवेदक को अस्पष्ट और निराधार आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है; साथ ही दहेज की मांग और मांग पूरी न होने पर मृतका के साथ क्रूरता करने का आरोप भी लगाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) जांच पूरी होने और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर, जांच अधिकारी (संक्षेप में आई.ओ) ने केवल मृतका के पति के विरुद्ध ओरोप पत्र दाखिल किया और वर्तमान आवेदक को बरी कर दिया।

(viii) विचारण न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया था ॥

(ix) विचारण न्यायालय ने उस आवेदन पर दिनांक 20.07.2024 को आदेश पारित किया, जिसके अंतर्गत वर्तमान आवेदक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए और 304-बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराधों के लिए विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया।

(x) इस न्यायालय में धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 8236/2024 दाखिल करके समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 17.09.2024 के आदेश से खारिज कर दिया है।

(xi) इसके बाद, अग्रिम जमानत के लिए यह आवेदन इस आधार पर दाखिल किया गया है कि विचारण के इस चरण में आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

(xii) विश्वनाथ और इंद्रावती उर्फ विंद्रा (मृतक के क्रमशः ससुर और सास) को इस न्यायालय ने पहले ही दिनांक 26.02.2026 के आदेश से अग्रिम जमानत दे दी है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 184/2026 में पारित किया गया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा दिलाया है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की मांग का विरोध किया।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए, साथ ही उनके पास उपलब्ध सामग्री और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 116 वाद में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि विश्वनाथ और इंद्रावती उर्फ विद्रा (मृतक के क्रमशः ससुर और सास) को इस न्यायालय ने पहले ही दिनांक 26.02.2026 के आदेश से अग्रिम जमानत दे दी है, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

7. इसलिए, अंतरिम उपाय के तौर पर, यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अभियुक्त-आवेदक - पवन कुमार को उक्त वाद में 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो जमानतदार एक परिवार का सदस्य/करीबी रिश्तेदार पेश करने पर तुरंत अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर या न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि जमा करनी होगी, साथ ही ये शर्तें भी लागू होंगी:-

- (i) अभियुक्त-आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा;
- (ii) अभियुक्त-आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने वे बातें बताने से रोका जा सके; और
- (iii) अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. पुलिस स्टेशन- महाराजगंज, जिला- आजमगढ़ के एसएचओ को निर्देश दिया जाता है कि वे विरोधी पक्ष संख्या 2 को इस वाद के लंबित होने और इसमें निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करें।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जमानत आवेदन के जवाब में एक शपथपत्र दाखिल करें और उसके साथ संबंधित एसएचओ द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 2 को दी गई सूचना का साक्ष्य भी संलग्न करें, जब मामला अगली बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इस आवेदन को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत, संख्या 184/2026 के साथ सूचीबद्ध/पेश किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारिखों पर, यदि निजी विरोधी पक्ष संख्या 2 को नोटिस की तामील पर्याप्त है, तो निजी विरोधी पक्ष संख्या 2 की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा और निजी विरोधी पक्ष संख्या 2 की अनुपस्थिति में भी पहली सुनवाई में उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आवेदन का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि आवेदक के विरुद्ध अग्रिम जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर उचित विचार करने के बाद, आवेदकों को दी गई अंतरिम जमानत को सुनिश्चित किया जाता है और दिनांक 18.3.2026 के आदेश के अनुसार वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है। आवेदक **पवन कुमार** की अग्रिम जमानत को विचारण पूरा होने तक बढ़ाया जाता है। आवेदकों को संबंधित न्यायालय में पेश होना होगा और 25,000 रुपये का जमानत बन्धपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतदार पेश करने होंगे, जो इन शर्तों के अधीन होंगी:

(i) आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहेंगे और फरार नहीं होंगे;

(ii) आवेदक वाद की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देंगे ताकि वे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी देने से रोकें या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करें;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

(iv) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होंगे, जब तक कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्वतन्त्रता न दी गई हो; और

(v) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएं-धमकाएं नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, जांच एजेंसी के पास इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन देने का विकल्प होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

9 जून, 2026

गौरव/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।